



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 / 16 फाल्गुन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मार्च, 2025

संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2025.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975(1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, पूर्वाक्त अधिनियम की अनुसूची-1 को प्रथम अप्रैल, 2025 से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति का प्रारूप अधिसूचना के सम्बद्ध में कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उक्त अधिसूचना के राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर लिखित आक्षेप या सुझाव, आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला-9 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुये आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

### अनुसूची-1

(धारा 3 देखें)

क्रम संख्या	वाहनों की विशिष्टियाँ	प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर	प्रति तिमाही या उसके भाग के पथकर की दर	प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर
1	2	3	4	5
1.	भारी मालवाहक वाहन वाहन जिनकी लदान क्षमता (क) 250 क्विंटल से अधिक ।	720 ₹0	स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दर का तीस गुना ।	स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट दर का चार गुना।
	(ख) 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल तक।	570 ₹0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ग) 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल तक।	320 ₹0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(घ) 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक ।	170 ₹0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
2.	छोटे माल-वाहन जिनकी लदान क्षमता 20 क्विंटल से कम हो (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	130 ₹0	-यथोपरि-	-यथोपरि-

3.	यात्री वाहन में बैठने की क्षमता: 12 यात्रियों से अधिक।	180 रू0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
4.	यात्री-वाहन (निजी वाहन सहित) (i) बैठने की क्षमता: 6-12 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	110 रू0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ii) अन्य हल्के मोटर वाहन जोकि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों : बैठने की क्षमता : 5 यात्रियों तक (चालक सहित) (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	70 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना ।
	(iii) टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहन के मालिक (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	70 रू0	200 रू0	400 रू0
5.	सार्वजनिक वाहक या प्राईवेट वाहक अनुज्ञापत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टर (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	70 रू0	-यथोपरि-	-यथोपरि-
6.	मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा (हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पंजीकृत यानों को लागू नहीं) ।	30 रू0	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 30 गुना ।	स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट दर का 100 गुना ।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/—

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) ।

[Authoritative English text of this Department Notification No EXN-F(1)-3/2025. dated 6-3-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th March, 2025

**No. EXN-F(1)-3/2025.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Toll Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh proposes to substitute SCHEDULE-I of the Act *ibid* with effect from 1st day of April, 2025, which is hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh for information of the general public;

If any interested person has any objection(s) or suggestion(s) in relation to the draft notification, he/she may send written objection(s) or suggestion(s) to the Commissioner of State Taxes and Excise, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 10 days from the publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing this notification, namely:—

### SCHEDULE-I

(See Section 3 of H.P. Tolls Act, 1975)

Sl. No	Particulars of Vehicles.	Rate of toll per day or part thereof	Rate of toll per quarter or part thereof	Rate of toll per year or part thereof
1	2	3	4	5
1.	<b>Heavy Goods Vehicles</b>	<b>Rs. 720</b>	<b>30 times the rate as specified in Column (3).</b>	<b>4 times the amount as specified in column (4).</b>
	(a) Vehicle having loading Capacity: exceeding 250 quintals and above.			
	(b) exceeding 120 quintals upto 250 quintals.	Rs. 570	30 times the rate as specified in Column (3).	4 times the amount as specified in column (4).
	(c) exceeding 90 quintals upto 120 quintals.	Rs. 320	-do-	-do-
	(d) from 20 quintals upto 90 quintals	Rs. 170	-do-	-do-
2.	<b>SMALL GOODS VEHICLES</b> Loading capacity less than 20 quintals (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.).	Rs. 130	-do-	-do-
3.	Passenger vehicles having seating capacity of: above 12 passengers	Rs. 180	-do-	-do-
4.	<b>PASSENGER VEHICLES (including private vehicle).</b>	<b>Rs. 110</b>	<b>-do-</b>	<b>-do-</b>
	(i) <b>SEATING CAPACITY</b> From 6 to 12 passengers (including driver) (not applicable on vehicles			

	registered under MV Act in H.P.).			
	(ii) Other light motor vehicles Registered as Public carrier or Private vehicles .  SEATING CAPACITY Upto 5 passengers (including driver) .  (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.).	Rs. 70	30 times the rate as specified in column (3).	100 times the rate as specified in column (3).
	(iii) The private registered vehicles of the owners of the vicinity of the barrier as per clause No. 2.3.22(b) (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.).	Rs. 70	Rs. 200/-	Rs. 400/-
5.	Tractors plying with public carrier or private carrier permit.  (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.).	Rs. 70	-do-	-do-
6.	Motor Rickshaw and Scooter Rickshaw. (not applicable on vehicles registered under MV Act in H.P.).	Rs. 30	30 times the rate as specified in column (3).	100 times the rate as specified in column (3).

By order,

Sd/-  
Principal Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मार्च, 2025

संख्या: ई0एक्स0एन0एफ(1)-3/2025.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3-क की उप-धारा (1) के अधीन, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2025 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 (01-04-2025 से 31-03-2026 तक) के लिए किसी भी सड़क अवसंरचना के ऊपर से जाने वाले यान्त्रिक वाहनों पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत पथकर के संग्रहण का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी सह निविदा पद्धति द्वारा पट्टे पर दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह भी आदेश करते हैं कि पट्टे के निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसी आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन पृथक्तः अवधारित की जाएं।

आदेश द्वारा  
हस्ताक्षरित/—

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-3/2025, dated 6-3-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## STATE TAXES & EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 6th March, 2025*

**File No. EXN-F(1)-3/2025.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3-A of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to specify 1st April, 2025, as the date with effect from which the right to collect toll levied under Section 3 of the Act *ibid*, on mechanical vehicles passing over any road infrastructure, for the financial year 2025-26 (*w.e.f.* 01-04-2025 to 31-03-2026), shall be leased out as per the provisions of the Section *ibid*, to a person by Auction-*cum*-Tender process in the interest of revenue.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the terms and conditions of the lease shall be such as may be determined separately by the Commissioner of State Taxes & Excise, Himachal Pradesh with the approval of the State Government.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary (ST&E).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 27 जनवरी, 2025

**संख्या: राजस्व-डी(ए) 1-11/2021-(चम्बा).**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील धमवाड़ी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में तहसील चड़गांव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 6 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील धमवाड़ी, जिसका मुख्यालय धमवाड़ी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	वर्तमानतः तहसील चड़गांव में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	नई उप-तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त
1	2	3	4	5	6
धमवाड़ी	धमवाड़ी	सन्दासू चड़गांव चिलाला भम्फड़ आन्ध्रा धगोली रोहल खाबल खशधार पेजा गांवसारी धमवाड़ी सिंदासली तंगणू लड़ोट दिऊदी टिक्करी	रोहड़ू	शिमला	धमवाड़ी सिंदासली तंगणू लड़ोट दिऊदी टिक्करी

आदेश द्वारा,  
ओंकार चन्द शर्मा,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-11/2021-(CBA) dated 27-01-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th January, 2025

**No. Rev-D(A) 1-11/2021-(CBA).**—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Dhamwari in District Shimla, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Dhamwari with its headquarter at Dhamwari under administrative control of Tehsil Chirgaon in District Shimla, Himachal Pradesh, consisting of 6 Patwar Circles shown in column No.6 below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil	Head Quarter	Name of Patwar Circles included in Tehsil Chirgaon	Name of Sub-Division	District	Patwar Circle to be included in new Sub-Tehsil
1	2	3	4	5	6
Dhamwari	Dhamwari	Sandasu Chirgaon Chilala Bamfar Andhra Dhagoli Rohal Khabal Khasdhar Peja Gaonsari Dhamwari Sindasli Tangnu Ladot Diudi Tikkri	Rohru	Shimla	Dhamwari Sindasli Tangnu Ladot Diudi Tikkri

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,  
Addl. Chief Secretary-cum-FC (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 3 मार्च, 2025

संख्या:राजस्व-डी(ए) 1-8/2021-(सोलन).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील लोहारघाट सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;



अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में तहसील रामशहर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए 6 पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील लोहारघाट, जिसका मुख्यालय लोहारघाट में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	वर्तमानतः रामशहर में वृत्तों के नाम	तहसील सम्मिलित पटवार	उप-मण्डल का नाम	जिला	नई उप-तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त
1	2	3		4	5	6
लोहारघाट	लोहारघाट	1. लुनस		अर्की	सोलन	1. लोहारघाट
		2. नंड				2. कोहू
		3. डोली				3. सौर
		4. धरमाणा				4. जयनगर
		5. बेहडी				5. उखू
		6. रामशहर				6. भियून्खरी
		7. मटूली				
		8. बायला				
		9. मनलोग कला				
		10. दिग्गल				
		11. चमदार				

आदेश द्वारा,  
 ओंकार चन्द शर्मा,  
 अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-8/2021-(SLN) dated 03-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-02, the 3rd March, 2025*

**No. Rev-D(A) 1-8/2021-(SLN).**—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-Tehsil Loharghat in District Solan, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the people of

nearby Villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil Loharghat with its headquarter at Loharghat under administrative control of Tehsil Ramshahar in District Solan, Himachal Pradesh, consisting of 6 Patwar Circles shown in Column No.6 below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil	Head Quarter	Name of Patwar Circles Presently included in Tehsil Ramshahar	Name of Sub-Division	District	Patwar Circle to be included in new Sub-Tehsil
1	2	3	4	5	6
Loharghat	Loharghat	1. Lunas	Arki	Solan	1. Loharghat
		2. Nand			2. Kohoo
		3. Doli			3. Sour
		4. Dharmaana			4. Jaynagar
		5. Behri			5. Ukhoo
		6. Ramshahar			6. Bhiunkhari
		7. Matooli			
		8. Baayla			
		9. Manlog Kalan			
		10. Diggall			
		11. Chamdaar			

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,  
Addl. Chief Secretary-cum-FC (Revenue).

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Jugani d/o Sh. Chetu, r/o Village Marungra, P.O. Auraphati, Tehsil Bharmour,  
District Chamba, H.P. *Applicant.*

*Versus*

## General Public

*Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.*

Whereas, Smt. Jugani d/o Sh. Chetu, r/o Village Marungra, P.O. Auraphati, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for registration of Delayed Birth of his/her *i.e.* 01-07-1962 for further entry in the records of Gram Panchayat Aura, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Jugani d/o Sh. Chetu	01-07-1962

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Aura may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 3rd day of February, 2025.

Seal.

Sd/-  
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Abhay Singh Rana s/o Sh. Chaman Singh Rana, aged 33 years, resident of mohalla Surara, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.)

and

Monika Kumari d/o Sh. Varinder Kumar, aged 31 years, resident of Village Dhar, P.O. Kandla, Tehsil & District Chamba (H. P.)

*Versus*

The General Public

*Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 12-05-2023 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 22-03-2025 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 19th day of February, 2025.

Seal.

(PRIYANSHU KHATI, IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सूरज थापा पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर बकलोह, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम सूरज थापा है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा कस्बा में गलती से सूरज कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 63 Misc./NT/2024

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी प्रेम चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे अनिल कुमार का जन्म दिनांक 26-02-1996 को गांव व पंचायत बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका, जिसे वह ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत ना0 तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मु0 नं0 : 02/NT/C/2025

तारीख दायरा : 14-02-2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

रघुवीर सिंह पुत्र गुरवर्खा, वासी महाल नारी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . . प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल नारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल नारी में रघुवीर सिंह पुत्र गुरवर्खा पुत्र सोहनू दर्ज है जबकि आधार

13832

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946

कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में रघुवीर सिंह पुत्र गुरवर्खा दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में रघवीर सिंह उपनाम रघुवीर सिंह पुत्र गुरवर्खा पुत्र सोहणू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत ना० तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मु० नं० : 01/NT/C/2025

तारीख दायरा : 14-02-2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द, वासी महाल न्याड़, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल न्याड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल न्याड़ में वाल कृष्ण पुत्र धर्म चन्द पुत्र भगतू दर्ज है जबकि पैन कार्ड, आधार कार्ड में कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल नारी में वाल कृष्ण उपनाम कृष्ण चन्द शर्मा पुत्र धर्म चन्द पुत्र भगतू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 30/25/TEH	तारीख दायरा 17-02-2025	तारीख पेशी 18-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

उर्मिला देवी पत्नी राम सरूप, निवासी गांव वैदी, डा0 वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सनौर, पटवार वृत्त गगल खास, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम सरूप चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का नाम राम सरूप पुत्र किहरो दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम सरूप चन्द की बजाए राम सरूप उर्फ सरूप चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 24/25/TEH	तारीख दायरा 17-02-2025	तारीख पेशी 18-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी केवल कुमार पुत्र नारायण दास, निवासी महाल अवदुल्लापुर, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल अवदुल्लापुर तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का

नाम नरैण सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम नारायण दास पुत्र किरपा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम नरैण सिंह की बजाए नारायण दास उपनाम नरैण सिंह पुत्र किरपा दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०  
63/24/TEH

तारीख दायरा  
17-02-2025

तारीख पेशी  
18-03-2025

प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र शम्भू, निवासी डाका, मौजा गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल डाका व महाल वमनेहड़, पटवार वृत्त पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पुत्र शम्भू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम प्रकाश चन्द की बजाए ओम प्रकाश पुत्र शम्भू दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।



ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 29/25/TEH	तारीख दायरा 17-02-2025	तारीख पेशी 18-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी रूमेल सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पटारकड़, मौजा नंदेहड़, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम करतार चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम करतार सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम करतार चन्द की बजाए करतार चन्द उपनाम करतार सिंह दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 16/25/TEH	तारीख दायरा 17-02-2025	तारीख पेशी 18-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थिया श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह, निवासी गांव राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल हार, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व

रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम श्रीमती नीलम दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम श्रीमती नीलम की बजाए श्रीमती नीलम धीमान पत्नी अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख पेशी
17/25/TEH	17-02-2025	18-03-2025

प्रार्थी अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द, निवासी राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल राह, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीप कुमार पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम अजीत कुमार की बजाए अजीत सिंह पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 06 / 2025	तारीख दायरा 19-02-2025	तारीख पेशी 19-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र वेली राम, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र वेली राम, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-11-1960 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत पलेरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-03-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 05 / 2025	तारीख दायरा 17-02-2025	तारीख पेशी 19-03-2025
-----------------------	---------------------------	--------------------------

श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी डाका, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती अनिता कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी डाका, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 10-10-1976 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत पलेरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 19-03-2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,  
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०  
15/25/TEH

तारीख दायरा  
17-02-2025

तारीख पेशी  
18-03-2025

प्रार्थी गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द, निवासी राह, मौजा जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल राह, पटवार वृत्त जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरदीप कुमार पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम गुरदीप कुमार की बजाए गुरदीप चन्द पुत्र तारा चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 18-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 13/C/NT/2025

तारीख पेशी : 17-03-2025

ज्ञान चन्द पुत्र विचित्र सिंह, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी ज्ञान चन्द पुत्र विचित्र सिंह, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसके पिता का नाम जौन्दू दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम विचित्र सिंह दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम विचित्र सिंह उपनाम जौन्दू राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम विचित्र सिंह उपनाम जौन्दू राम, निवासी महाल नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल नलोटी के राजस्व अभिलेख में विचित्र सिंह उपनाम जौन्दू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 14/C/NT/2025

तारीख पेशी : 17-03-2025

भगत राम पुत्र ध्यान सिंह, निवासी गांव जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी भगत राम पुत्र ध्यान सिंह, निवासी महाल जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त शिवपुर के राजस्व महाल मरयारी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम रसीला दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व पैन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ध्यान सिंह दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम ध्यान सिंह उपनाम रसीला दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम ध्यान सिंह उपनाम रसीला, निवासी महाल जोल, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त शिवपुर के राजस्व महाल मरयारी के राजस्व अभिलेख में ध्यान सिंह उपनाम रसीला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15/C/NT/2025

तारीख पेशी : 17-03-2025

सोमा देवी पत्नी रतन चन्द, निवासी गांव पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया सोमा देवी पत्नी रतन चन्द, निवासी गांव पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहड़ी के राजस्व महाल गहली, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम तितरी देवी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में प्रार्थिया का नाम सोमा देवी दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सोमा देवी उपनाम तितरी देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया का नाम सोमा देवी उपनाम तितरी देवी, निवासी महाल पंजलेहड, डाकघर साई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त पीहड़ी के

राजस्व महाल गहली के राजस्व अभिलेख में सोमा देवी उपनाम तितरी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 16/C/NT/2025

तारीख पेशी : 17-03-2025

प्रदीप कुमार पुत्र जनक सिंह, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र जनक सिंह, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वडोग लाहड़ के राजस्व महाल हरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रवि कुमार दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रदीप कुमार दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार, निवासी महाल हरी, डाकघर सुदर लाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त वडोग के राजस्व महाल हरी के राजस्व अभिलेख में प्रदीप कुमार उपनाम रवि कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 19/C/NT/2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

दिनेश कुमार शर्मा पुत्र वीरवल, निवासी गांव अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र वीरवल, निवासी गांव अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा व अघार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम दिनेश कुमार दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दिनेश कुमार शर्मा दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम दिनेश कुमार शर्मा उपनाम दिनेश कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार शर्मा, निवासी महाल अलूहा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा व अघार के राजस्व अभिलेख में दिनेश कुमार शर्मा उपनाम दिनेश कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 17/C/NT/2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डिया, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल भौरन व महाल अलूहा, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थिया का नाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज हो गया है जबकि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में उसका



नाम सरोज कुमारी दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सरोज कुमारी उपनाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असागतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समागत न होगा तथा प्रार्थिया सरोज कुमारी पुत्री प्रेम चन्द, निवासी गांव भौरन, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल अलूहा के राजस्व अभिलेख में सरोज कुमारी उपनाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 18/C/NT/2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

कुसम पुत्री लश्करी सिंह, निवासी संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया कुसम पुत्री लश्करी सिंह, निवासी संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संगयाड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थिया का नाम कुमारी तृप्ता दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम कुसम दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुसम उपनाम कुमारी तृप्ता दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असागतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समागत न होगा तथा प्रार्थिया कुसम पुत्री लश्करी सिंह, निवासी गांव संघयाड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघयाड़ के राजस्व अभिलेख में कुसम उपनाम कुमारी तृप्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुशील कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बड़ोह,  
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अनिल कुमार, निवासी महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला  
कांगड़ा, हि0 प्र0 वादिया।

आम जनता महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रतिवादी।

विषय.—सानिल मेहता पुत्र अनिल कुमार का नाम बदलकर युवान मेहता पुत्र अनिल कुमार सेना में दर्ज  
करवाने बारे।

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी अनिल कुमार, निवासी महाल तेलकड़, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला  
कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके बेटे का नाम  
सानिल मेहता पुत्र अनिल कुमार सेना के रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु अब अपने बेटे का नाम बदलकर युवान  
मेहता पुत्र अनिल कुमार रखा है जोकि सेना के रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। सेना के रिकॉर्ड में दर्ज  
करने के लिए गजट में प्रकाशित किया जाना जरूरी है। लिहाजा नोटिस की प्रति कंट्रोलर प्रिंटिंग एवं  
स्टेशनरी हिमाचल प्रदेश को प्रकाशन हेतु भेजी जाती है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
(सुशील कुमार)  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
बड़ोह।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/B/NT/2025

तारीख पेशी : 22-03-2025

कुशल कुमारी पुत्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला  
कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम।

प्रार्थिया कुशल कुमारी पुत्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक

27-07-1964 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा कुशल कमारी पुत्री श्री नत्थू राम, निवासी गांव लाहड़, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, हि0 प्र0 की जन्म तिथि दिनांक 27-07-1964 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 20/C/NT/2025

तारीख पेशी : 22-03-2025

निम्नों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया निम्नों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त घुठयालता-II के राजस्व महाल मकड़ के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती कलासां दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम निम्नों देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महालों के राजस्व अभिलेख में उसका नाम निम्नों देवी उपनाम श्रीमती कलासां दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया निम्नों देवी पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव मकड़, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त घुठयालता-II के राजस्व महाल मकड़ के राजस्व अभिलेख में निम्नों देवी उपनाम श्रीमती कलासां दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 21/C/NT/2025

तारीख पेशी : 22-03-2025

राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटलाहडू के अभिलेख में गलती से उसका नाम राजवीर सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम राजवीर दर्ज है, जोकि उनका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजवीर उपनाम राजवीर सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राजवीर पुत्र सीता राम, निवासी गांव टिकर, डाकघर डोला खरियाना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) राजस्व पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल भटलाहडू के अभिलेख में राजवीर उपनाम राजवीर सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 22/C/NT/2025

तारीख पेशी : 26-03-2025

रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई व महाल धार चौकी के अभिलेख में गलती से उसके पिता का नाम राजेश चन्द दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसके पिता का नाम नरेश कुमार दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्तवर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम नरेश कुमार उपनाम राजेश चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-03-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा रितिक अगन पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव चलोई, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के पिता का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल चलोई व महाल धार चौकी के अभिलेख में नरेश कुमार उपनाम राजेश चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्रीमती तरामडू देवी विधवा मान सिंह, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोद, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदिका तरामडू देवी विधवा मान सिंह, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोद, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में तरामडू देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज हुआ है परन्तु महाल सरमाण के राजस्व अभिलेख में वरामदो देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके वरामदो देवी उपनाम तरामडू देवी विधवा मान सिंह पुत्र तोहडू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 03/2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्रीमती प्यारी देवी विधवा काहन चन्द, निवासी गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदिका प्यारी देवी विधवा काहन चन्द, निवासी गांव पोलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके पति का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में काहन चन्द पुत्र चिनो पुत्र बुधू है परन्तु महाल पोलिंग के राजस्व अभिलेख में काहन सिंह पुत्र चिनो पुत्र बुधू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके काहन चन्द पुत्र चिनो पुत्र बुधू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 04 / 2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम, निवासी बनवाड़/कुरान, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम, निवासी बनवाड़/कुरान, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम है परन्तु महाल बनवाड़ के राजस्व अभिलेख में अश्वनी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके अश्वनी उपनाम अक्षमणी पुत्र कर्म चन्द पुत्र मौजी राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असागतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समागत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 05 / 2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू, निवासी मियोट, डाकघर बरोट, उप-तहसील टिक्कन, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू निवासी मियोट, डाकघर बरोट, उप-तहसील टिक्कन, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू है परन्तु महाल कुकडगुन्धा के राजस्व अभिलेख में बलदेव सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके बलदेव सिंह उपनाम श्रीपत पुत्र हरी सिंह पुत्र किशनू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 06/2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री मोहन लाल पुत्र तोडू पुत्र शैहणू राम, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक मोहन लाल पुत्र तोडू पुत्र शैहणू राम, निवासी गांव सरमाण, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसकी माता जी का नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में नाथी देवी विधवा तोडू पुत्र शैहणू राम है परन्तु महाल नपोहता के राजस्व अभिलेख में नाभो पुत्री बहादरू पुत्र खेमदास दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके नाभो उपनाम नाथी देवी पुत्री बहादरू पुत्र खेमदास दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई



उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 07/2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू निवासी गांव सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू, निवासी गांव सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू है परन्तु महाल भुजलिंग के राजस्व अभिलेख में वेगू राम पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके वेगू राम उपनाम प्रकाश पुत्र बिल्लू पुत्र धूपलू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 08/2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

श्री राजकुमार पुत्र महेश, निवासी गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक राजकुमार पुत्र महेश, निवासी गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसके दादा जी का नाम मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में कातकू पुत्र मन्सू पुत्र काणू है परन्तु महाल भुजलिंग के राजस्व अभिलेख में चैन्चरू पुत्र मन्सू पुत्र काण दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके चैन्चरू उपनाम कातकू पुत्र मन्सू पुत्र काण दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,  
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 05/2025

तारीख दायर : 18-02-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

धर्मी देवी पत्नी श्याम सिंह, गांव लुवाई, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-02-1961 को गांव तरमेहर, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत लुवाई के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लुवाई के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक

18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,  
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 03/2025

तारीख दायर : 17-02-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

अनुराधा पुत्री जसिया राम, गांव बड़ा भंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-07-1973 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान,  
जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 04/2025

तारीख दायर : 18-02-2025

तारीख पेशी : 18-03-2025

शकुन्तला देवी पुत्री रूलगडू, गांव भुजलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधिन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1971 को गांव भुजलिंग, डाकघर लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत स्वाड के परिवार रजिस्टर में नहीं हुआ है अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत स्वाड के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 05/ना/2025

तारीख पेशी : 29-03-2025

अजमेर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी महाल इन्द्रनगर, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल जरेहड़, तहसील जयसिंहपुर

प्रतिवादी।

विषय.—भू0—राजस्व अभिलेख स्थित महाल जरेहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट 1954 धारा 38 (अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अजमेर सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी महाल इन्द्रनगर, डाकघर जालग, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने पिता के नाम की दुरुस्ती बारे

प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पिता का सही नाम रमेश चन्द है परन्तु महाल जरेहड़ के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम वचन सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी महाल हजा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल जरेहड़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वचन लाल के बजाये वचन लाल उपनाम रमेश चन्द करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-03-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज वाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार,  
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 03/N/2024

तारीख पेशी : 29-03-2025

1. विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

2. पूजा पुत्री रमेश चन्द निवासी, D-509, JJ Camp, Tigri South Delhi, 110062, हाल पत्नी विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्रित बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी।

विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व पूजा पुत्री रमेश चन्द, निवासी, D-509, JJ Camp, Tigri South Delhi, 110062, हाल पत्नी विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि दिनांक 12-12-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी गांव पंजलेहड़, डा0 कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है व तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत पपलाह में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-03-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत पपलाह को जारी कर दिया जायेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-02-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 14/तह0/2025

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 17-03-2025

गीता देवी पत्नी तरलोक सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)  
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में गीता देवी पत्नी तरलोक सिंह, गांव व डाकघर टम्बर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 04-04-1973 को गांव व डाकघर टम्बर, ग्राम पंचायत टम्बर, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत टम्बर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी पुत्री के जन्म तिथि 04-04-1963 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-03-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत टम्बर को जारी कर दिया जायेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-02-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 66/Misc./NT/2025

श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी बेटी अनुशा का जन्म दिनांक 22-07-2021 को गांव व पंचायत मलकाना, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 65/Misc./NT/2025

श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री आशिक अली पुत्र कमाल दीन, निवासी गांव मलकाना, डाकघर पराल, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनके बेटे शवीर खान

का जन्म दिनांक 28-05-2018 को गांव व पंचायत मलकाना, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका जिसे वह ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मलकाना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

संदीप कुमार पुत्र श्री समिन्द्र पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मसल, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

संदीप कुमार पुत्र श्री समिन्द्र पठानिया, निवासी गांव व डाकघर मसल, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन श्रीमती सपना पत्नी श्री अशवनी की मृत्यु दिनांक 12-07-1997 को सिविल अस्पताल बैजनाथ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।



**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

कर्ण सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव नौरी उपरली, डाकघर पढियारखर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कर्ण सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव नौरी उपरली, डाकघर पढियारखर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 03—12—1989 महाल नौरी उपरली, तहसील बैजनाथ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05—04—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14—02—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

रूप लाल पुत्र श्री मखौली राम, निवासी गांव व डाकघर मण्डेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रूप लाल पुत्र श्री मखौली राम, निवासी गांव व डाकघर मण्डेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 14—06—1965 को गांव व डाकघर मण्डेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19—04—2025 को सुबह

13860

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946

10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

थमिन्द्रा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्दाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

थमिन्द्रा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी गांव महेशगढ़, डाकघर कन्दाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15-12-1951 को गांव महेशगढ़, डाकघर कन्दाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 28-02-2025

बिमला देवी पत्नी श्री भूमि चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी व डाकघर सकोह, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में बिमला देवी पत्नी श्री भूमि चन्द, निवासी गांव धार ब्रहमपुरी व डाकघर आलमपुर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने राजस्व अभिलेख में अपना और अपने लड़के के नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि मेरा सही नाम बिमला देवी तथा मेरे लड़के का सही नाम रजनीश कुमार शर्मा है परन्तु महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम निर्मला देवी लिखा है जोकि गलत दर्ज है। तथा महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के लड़के का नाम रजिन्दर सिंह लिखा है। जोकि गलत है। प्रार्थिया महाल देहरू, धार ब्रहमपुरी, जगरूप नगर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम निर्मला देवी उपनाम बिमला देवी तथा रजिन्दर सिंह उपनाम रजनीश कुमार शर्मा दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 28-02-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 19-03-2025

सुलेशना देवी पत्नी स्व0 श्री इश्वर दास, निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा व उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गन्दड, डाकघर मरेरा एवं उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुलेशना देवी पत्नी श्री इश्वर दास, निवासी गांव गन्दड, डाकघर मरेरा व उप-तहसील आलमपुर तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सुलेशना देवी है परन्तु महाल गन्दड व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुलेक्षना देवी अंकित है। जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया महाल गन्दड व उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम सुलेशना देवी उपनाम सुलेक्षना देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 19-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-03-2025

चंदू राम चौधरी आयु 78 वर्ष पुत्र श्री गैण्डा राम, निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता निवासी गढ बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गढ एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में चंदू राम चौधरी आयु 78 वर्ष पुत्र श्री गैण्डा राम, निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम चंदू राम चौधरी है परन्तु महाल निवासी गांव गढ व डा0 बरडाम व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम चंदू राम अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी महाल गढ, उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम चंदू राम उपनाम चंदू राम चौधरी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 10-03-2025

चैनो देवी पत्नी खैमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में चैनो देवी पत्नी खैमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम चैनो देवी है परन्तु महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम चैनी देवी अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल भेडी निचली, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम चैनो देवी उपनाम चैनी देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 10-03-2025

मनोरमा देवी पुत्री खैमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मनोरमा देवी पुत्री खैमदी पुत्र लालमन, निवासी गांव निचली भेडी, डाकघर भेडी, मौजा व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम मनोरमा देवी है। परन्तु महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम महिमा देवी अंकित है। जोकि गलत दर्ज है प्रार्थिया महाल भेडी उपरली व महाल डाडू, मौजा आलमपुर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम मनोरमा देवी उपनाम महिमा देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 10-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में अस्सालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 56/2023

तारीख मरजुआ : 28-09-2023

तारीख पेशी : 15-03-2025

1. श्री राकेश पुत्र श्री रामदयाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश,  
2. कुश पुत्र नरायण सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम



हरीनंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 62. खेम चंद पुत्र हरी नंद, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 63. दिशा देवी पत्नी नवीन कुमार, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 64. राधा देवी पत्नी निशान्त सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 65. वाल कृष्ण पुत्र अभी राम, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)।

11. श्री राकेश पुत्र श्री रामदयाल, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0), 2. कुश पुत्र नारायण सिंह, निवासी गांव वडोह, तहसील व जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 9/31, 2, 4, 7, 113, 124, 237 व अन्य वाका महाल वडोह, तहसील शिमला ग्रामीण जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ता 26 व 31, 33 ता 62 व 64, 65 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 15-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 07-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल सं0 : 2/2024

04-01-2025

फलक पुत्री शहजाद, निवासी गांव सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में शहजाद पुत्र मूनीर दीन, निवासी सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) की पुत्री फलक का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2/3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्रांक संख्या एच.एफ.डब्लू-एस.एम.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2024-5-4305, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से इस कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ-पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर संलग्न है। नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक फलक पुत्री शहजाद की जन्म तिथि 07-01-2009 है, जोकि पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण



रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरकोटी के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति/उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 07-01-2009 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

मिसल सं० : 1/2024

30-05-2024

अर्श पुत्र शहजाद, निवासी गांव सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में शहजाद पुत्र मूनीर दीन, निवासी सल्याणा, डाकघर चलनैर, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) के पुत्र अर्श का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2/3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्रांक संख्या एच.एफ.डब्लू.—एस.एम.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी/2024-5-4306, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से इस कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ-पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर संलग्न है। नकल परिवार रजिस्टर के मुताबिक अर्श पुत्र शहजाद की जन्म तिथि 24-10-2010 है, जोकि पंचायत के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरकोटी के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति/उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 24-10-2010 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश**

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री जगत राम, ग्राम निवासी हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री जगत राम, ग्राम निवासी हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	कमलेश	स्वयं	12-03-1992

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को उपरोक्त व्यक्तियों के नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(अर्जुन सिंह परमार),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

-----

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)**

श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्द्रोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत धरेच, तहसील ठियोग, विकास खण्ड ठियोग

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म/मृत्यु तिथि प्रविष्टि बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 541, दिनांक 23-01-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पत्र संख्या एच0एफ0एल0/जन्म एवं मृत्यु/एस0टी0/2025-1-541, दिनांक 23-01-2025, (2) शपथ-पत्र आवेदक, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ-पत्र श्री लायक राम पुत्र सही राम, निवासी क्यार, डा0 दरभोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0, श्री हरी दास पुत्र सही राम, ग्राम क्यार घाला, डा0 दरभोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0 प्र0, श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी ग्राम पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), श्रीमती गीता पत्नी गीता राम, निवासी मखडोल, डा0 फागु, तहसील ठियोग, जिला शिमला हि0 प्र0 के अपने पुत्र की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म/मृत्यु रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश पत्र जो दिनांक 23-01-2025 को जारी हुआ, में की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पुत्र की जन्म तिथि 21-03-2018, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री अरुण शर्मा पुत्र चन्द मणी, निवासी पटी, ग्राम पंचायत चन्दरोपा, उप-तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के पुत्र मास्टर सुजल शर्मा कि जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव धरेच को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 01/25

तारीख दायर : 18-02-2025

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री नरदेव सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 03, रामपुर, डा0 रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नगर परिषद रामपुर, मृत्यु पंजीकरण बारे।

यह दरखास्त श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री नरदेव सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 03, रामपुर, डा0 रामपुर, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने पति स्व0 श्री नरदेव सिंह की मृत्यु पंजीकरण, नगर परिषद् रामपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन

किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने पति की मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगर परिषद रामपुर में दर्ज न कर सकी। प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि निम्न है :—

क्रम संख्या	प्रार्थिया के पति का नाम	तारीख मृत्यु
1.	स्व० श्री नरदेव सिंह पुत्र छेरिंग दोरजे	22-12-1987

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद रामपुर में प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(सुरेश कुमार नेगी)  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)।

#### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० श्री अलख राम, निवासी गांव, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० श्री अलख राम, निवासी गांव, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके पिता (श्री अलख राम पुत्र श्री साधू राम) की मृत्यु तिथि 10-10-2023 है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र० में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व० श्री अलख राम, निवासी गांव, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र० के पिता की मृत्यु तिथि 10-10-2023 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र० में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी (पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती कांता देवी) जन्म तिथि 22-08-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कांगर, डा0 बनेठी, ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 22-08-1977 ग्राम पंचायत नावणी-जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी (पुत्री श्री बारुराम एवं श्रीमती तुलसी देवी) जन्म तिथि 22-01-1977 है, जोकि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती सोमबती पुत्री श्री बारुराम, निवासी गांव पपलोह, डा0 एवं

13872

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946

ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-01-1977 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 24-03-1959 है, जोकि ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री जयपाल पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी गांव खादरी, डा0 बिक्रमबाग एवं ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 24-03-1959 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 31-01-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

केस नं0 /2025

दायर तिथि :

श्री धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरेधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-11144, दिनांक 07-02-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1964 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुण्डियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में धर्म सिंह पुत्र चुही राम, निवासी टोकानगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 2/13(3) of 2025

मजरूआ : 01-10-2024

तारीख पेशी : 27-01-2025

प्रार्थिया श्रीमती अंजना पुत्री श्री पूर्णा नन्द और लज्जा देवी, निवासी स्वारा नंडासी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती अंजना पुत्री श्री पूर्णा नन्द और लज्जा देवी, निवासी स्वारा नंडासी, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 09-09-1976 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की

13874

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2025/16 फाल्गुन, 1946

आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश हों अन्वथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
जय सिंह ठाकुर,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 1/13(3) of 2025

मजरूआ : 27-01-2025

तारीख पेशी : 15-03-2025

प्रार्थी श्री नीता राम पुत्री श्री मोही राम और मुन्नी देवी, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरेधारा 13(3)।

प्रार्थी/वादी नीता राम पुत्री श्री मोही राम और मुन्नी देवी, निवासी छोऊ भोगर, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना जन्म ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थी का जन्म मिति 01-01-1963 को ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत छोऊ भोगर में दर्ज न करवा सकी जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15-03-2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश हों अन्वथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
जय सिंह ठाकुर,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री नन्द लाल, निवासी ग्राम मानो चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।



बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री नन्द लाल, निवासी ग्राम मानो चाण्डोग, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 04-06-1989 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सादनाघाट में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

(हि0प्र0)।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुकेश पुत्री जंगशेर सिंह, निवासी ग्राम मझोटली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुकेश पुत्री जंगशेर सिंह, निवासी ग्राम मझोटली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 12-12-1973 का पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बिमला देवी पुत्री जगत सिंह, निवासी ग्राम कन्योन शिरला, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी पुत्री जगत सिंह, निवासी ग्राम कन्योन शिरला, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 14-07-1967 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बागथन के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बागथन में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्री नेक राम पुत्र अमर नाथ, निवासी ग्राम सतौड़ा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री नेक राम पुत्र अमर नाथ, निवासी ग्राम सतौड़ा, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 01-12-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत काटली के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत काटली में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती लज्जा देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम गागयों खड़योग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लज्जा देवी पुत्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम गागयों खड़योग, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 07-12-1968 का पंजीकरण ग्राम पंचायत धरोटी के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया

जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत धरोटी में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती इन्दू बाला पुत्री बाबू राम, निवासी ग्राम लाना चब्युल, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती इन्दू बाला पुत्री बाबू राम, निवासी ग्राम लाना चब्युल, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 30-10-1991 का पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत लाना बाका में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती रेखा कुमारी पुत्री प्रेम दत्त, निवासी ग्राम नेई लोठन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेखा कुमारी पुत्री प्रेम दत्त, निवासी ग्राम नेई लोठन, डाकघर बाग पशोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 25-01-1990 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बाग पशोग के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बाग पशोग में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती रीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी ग्राम खील बेलू, डाकघर नेरी नावन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीना देवी पुत्री तुलसी राम, निवासी ग्राम खील बेलू, डाकघर नेरी नावन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 18-01-1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरी नावन के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका

था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरी नावन में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगमोहन पुत्र प्रेम कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जगमोहन पुत्र प्रेम कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी माता श्रीमती फूला देवी पत्नी रंगीला राम उर्फ प्रेम कुमार की मृत्यु तिथि 17-02-2024 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan,  
District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam, r/o Village & Post Office Rahua, Ward No. 5,  
District Madhepura, Bihar . . Applicant.

*Versus*

General Public . . Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003.*

Whereas, the applicant Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam, r/o Village & Post Office Rahua, Ward No. 5 , District Madhepura, Bihar has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his date of birth *i.e.* 05-05-2005 and place of birth at r/o Village Daghota, Post Office Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.), but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Chewa, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Shri Shakeel s/o Shri Mohmmad Rustam may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-03-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of February, 2025.

Seal.

Sd/-  
(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,  
Solan, District Solan (H.P.).

**Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H.P.)**

Case No.  
11/2025

Date of Institution  
20-02-2025

Date of Decision  
19-03-2025

Smt. Banti Devi d/o Sh. Lachhman, r/o Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki,  
District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public . . Respondent.

*Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Banti Devi d/o Sh. Lachhman, r/o Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-07-1965 at Village Pajeena, P.O. Sewra Chandi but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Sewra Chandi, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Sewra Chandi, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth event of Smt. Banti Devi may submit their objections in writing in this office on or before 19-03-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 20th day of February, 2025.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli**

1. Mr. Maan Singh aged 35 years D.O.B. 22-07-1989 s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Ambota, P.O. Ekhu, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

2. Mrs. Suman Devi aged 23 years D.O.B. 02-09-2001 d/o Sh. Het Ram, r/o Village Pashan Dhar, P.O. Kotla Panjola, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

*Versus*

General Public

*Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Mr. Maan Singh aged 35 years D.O.B. 22-07-1989 s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Ambota, P.O. Ekhu, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bride groom) and Mrs. Suman Devi aged 23 years D.O.B. 02-09-2001 d/o Sh. Het Ram, r/o Village Pashan Dhar, P.O. Kotla Panjola, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 21-01-2025 that they have solemnized their marriage with each others on 18-05-2024. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 17-03-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 15-02-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(MAHENDER PARTAP SINGH, HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kasauli, District Solan (H.P.).*



**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

**NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT**

Whereas, Mr. Rajat Kashyap son of Mr. Amar Singh, resident of Village Dharo (557), P.O. Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Yamini wife of Mr. Rajat Kashyap and daughter of Mr. Vidya Sagar, resident of House Number 1775 F, Madhya Marg, Sector 7C, P.O. Sector 19, Chandigarh, 160 019, have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 28-02-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Rajat Kashyap and Mrs. Yamini were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Rajat Kashyap son of Mr. Amar Singh, resident of Village Dharo (557), P.O. Jaunaji, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Yamini wife of Mr. Rajat Kashyap and daughter of Mr. Vidya Sagar, resident of House Number 1775 F, Madhya Marg, Sector 7C, P.O. Sector 19, Chandigarh, they may file their written objections and appear personally or through their authorized agent before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 15th day of February, 2025.

Seal.

Sd/-  
(Dr. POONAM, HPAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Solan, District Solan (H. P.).*

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)**

1. श्री अमर शर्मा पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
2. श्रीमती सपना देवी पुत्री संजीव कुमार निवासी गांव अभें, डाकघर कांठ, तहसील व जिला शाहजहांपुर (उ0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

इशतहार/मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री अमर शर्मा पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सपना देवी पुत्री संजीव कुमार, निवासी गांव अमें, डाकघर कोंठ, तहसील व जिला शाहजहांपुर (उ0प0) के साथ दिनांक 08-07-2024 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत प्रम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 07-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री सावन कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
2. श्रीमती रीना पुत्री श्री शाम लाल, निवासी व डाकघर दियोली, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

इशतहार/मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री सावन कुमार पुत्र श्री अजीत कुमार, निवासी गांव प्रम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रीना पुत्री श्री शाम लाल, निवासी गांव व डाकघर दियोली, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 02-12-2022 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका

पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत प्रम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 07-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

## CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Mahajan Lal, r/o Village Salwar, P.O. Malhot, Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) declare that my minor son's name wrongly entered as Manu in his Aadhar Card No. 8804 1621 2894 instead of his correct name Karan. Concerned note.

KAMLA DEVI  
w/o Sh. Mahajan Lal,  
r/o Village Salwar, P.O. Malhot,  
Sub-Tehsil Kalol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

## CHANGE OF NAME

I, Naroli Devi w/o Late Sh. Tara Chand, r/o 227/7, Moti Bazar Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) wants to correct my name & D.O.B. as Naroli Devi (06-04-1935) instead of Nirmala Devi (1935) in Aadhar Card. All concerned please note.

NAROLI DEVI  
w/o Late Sh. Tara Chand,  
r/o 227/7 Moti Bazar Mandi,  
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Sarita Devi w/o Sh. Brhma Nand, r/o Village Karati, P.O. Sari Bamnol (84), Shimla (H.P.) Pin-171226 declare that I have changed my name from Sarita Devi (Old Name) to Sarota Devi (New Name) all concerned please may notice.

SARITA DEVI  
w/o Sh. Brhma Nand,  
r/o Village Karati, P.O. Sari,  
Bamnol (84), Shimla (H.P.).